प्रेस-विज्ञप्ति 08.06.2017

मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश एवं वाणिज्य कर विभाग, कानपुर के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 08 जून, 2017 को "**जी.एस.टी. पर कार्यशाला**" का आयोजन किया गयाA कार्यशाला के मुख्य-अतिथि **श्री मुकेश मेश्राम, आई.ए.एस., आयुक्त, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश** थेA

कार्यशाला के प्राम्भिक सत्र में श्री ए.के. पाठक, एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर, एवं उनकी टीम के सदस्यों (श्री विशाल पुंडीर, उपायुक्त, वाणिज्य कर, श्री अमित पाठक उपायुक्त, वाणिज्य कर एवं शैलेन्द्र वार्शनेय, असिस्टेंट कमिश्नर) ने मिलकर एक पॉवर-पॉइंट प्रस्तुति दिया और जी.एस.टी. कानून मुख्य-बिन्दुओं को विस्तार से उल्लेख कियाA इनके }kरा बताये गए मुख्य बिंदु का उल्लेख इस प्रकार से है :

- पंजीयन, रिटर्न-दाखिल एवं वेट से जी.एस.टी. के Transition Period में स्टाक पर ITC की उपलब्धता के बारे में बताया A जी.एस.टी. लागू होने दिन उपलब्ध स्टॉक पर किस प्रकार कितनी क्रेडिट SGST व CGST में अनुमान्य होगीA
- वस्तुओं या सेवाओं के अंतर-राज्य की आपूर्ति पर टैक्स- सीजीएसटी और एसजीएसटी निर्धारित दर पर क्रमशः केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगाए जाएंगेA
- वस्तुओं या सेवाओं की इंटर-स्टेट आपूर्ति पर टैक्स - आईजीएसटी निर्धारित दर पर, केन्द्र सरकार द्वारा लगाई जाएगीA एवं लायबिलिटी तभी बनेगी जब कर देयता थ्रेशहोल्ड एक्सेम्पशन की निर्धारित सीमा को पार करेगाA
- नार्मल कारदाता, कम्पोजीशन कारदाता, कैसुएल कारदाता, नॉन रेजिडेंट कारदाता, TDS डीडक्टर, इनपुट सर्विस सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर सब अलग-अलग इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न, जिनका कट-ऑफ रेट्स भिन्न-भिन्न है, फाइल करेंगेA
- इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक आईटीसी लेजर टैक्स की व्यवस्था इंटरनेट बैंकिंग, NEFT, RTGS, debit/credit cards द्वारा तथा काउंटर पर भी जमा की जा सकती हैA
- ITC का क्रॉस-यूटिलाइजेशन (उपयोग) CGST & IGST, SGST/UTGST & IGST के मध्य किया जा सकता हैA तथा कर का रिफंड प्रत्य तौर पर प्रार्थी की बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगाA

इसके पश्चात व्यापारियों के विभिन्न प्रश्नों का समाधान भी कियाA

कार्यशाला के f}तीय सत्र में मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदश के अध्य{k श्री पदम् कुमार जैन ने विशेष रूप से आमंत्रित मुख्य-अतिथि श्री मुकेश कुमार मेश्राम, आई.एस.एस., आयुक्त, वाणिज्य कर, कानपुर, वाणिज्य कर के अधिकारियों, मर्चेंट्स चैम्बर के सदस्यों, कानपुर की प्रतिष्ठित संस्थाओं से आये हुए

प्रतिनिधिगण एवं मीडिया कर्मियों का स्वागत कियाA श्री जैन ने जी.एस.टी. को बड़ा क्रान्तिकारी परिवर्तन बताते हुए कहा कि इससे हमारे देश की जी.डी.पी. में वृद्धि होगी लेकिन अभी भी कुछ कठिनाइयां व्यापारियों द्वाआ चिन्हित की गयी है, ततपश्चात विभिन्न व्यापारिक संगठनों से प्राप्त ज्ञापनों के आधार पर एक संकलित ज्ञापन कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को सौपा जिससे माननीय आयुक्त, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, महोदय इसको जी.एस.टी. समिति को प्रेषित कर सकेंA श्री जैन ने बताया अभी भी देश का एक बड़ा व्यापरी वर्ग के बैक-ऑफिस उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है कि कंप्यूटर से सम्बंधित समस्त प्रणाली को अपने यहाँ से चला सकेंA श्री जैन ने यह भी अनुरोध किया कि यदि सम्भव हो तो जी.एस.टी. के क्रियान्वन दिनांक 1 जुलाई, 2017 को कम से कम तीन माह के लिए बढ़ा देना चाहिएA

मर्चेंट्स चैम्बर के उपाध्यछ श्री बी.के. लाहोटी ने कहा कि जी.एस.टी. कानून की प्रस्तुत प्रावधानों में के दिककते है लेकिन मुख्य रूप से एच.एस.एन. कोड, ई-वे बिल जैसी भ्रमात्मक नियम भी हैA श्री लाहोटी जी ने मर्चेंट्स चैम्बर की और से सुझाव देते हुए बताया कि एक ऐसी लिस्ट तैयार होकर प्रकाशित होनी चाहिए जिसमें संस्थानों के जी.एस.टी. के पंजीकरण नम्बर लिखे होंA उन्होंने यह भी कहा कि यदि जी.एस.टी. की प्रभावी तिथि (जो कि तत्काल में 01 जुलाई, 2017 है) बढ़ायी जाती है तो इसकी सूचना शीघ्रातिशीघ्र प्रकाशित होनी चाहिएA

मर्चेंट्स चैम्बर ने कानपुर की प्रतिष्ठित संस्थाओं एवं व्यक्तियों (जैसे श्री अमित अवस्थी - अधिवक्ता, नौघड़ा कपड़ा कमेटी, कानपुर होटल एवं रेस्तोरेंट एसोसिएशन, कानपुर होजरी क्लस्टर उद्योग, एवं अन्य संस्थाए) आये हुए प्रतिनिधियों को माननीय आयुक्त महोदय के सम{k जी.एस.टी. में आने वाली दिक्कतों एवं सम्बंधित सुझावो को रखने का अवसर दियाA

कार्यशाला के मुख्य-अतिथि **श्री मुकेश मेश्राम, आई.ए.एस., आयुक्त, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,** ने यह आश्वस्त किया कि वह मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा सौपे गए ज्ञापन को वह जी.एस.टी. कौंसिल को प्रस्तुत करेंगेA इसके अलावा उन्होंने कर निर्धारण की प्रक्रिया के बारे में भी बताया तथा उपस्थित व्यापारियों की शंकाओ का भी समाधान कियाA

कार्यक्रम का संचालन श्री सुरेन्द्र गुप्ता, सदस्य, मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश ने किया एवं धन्यवाद-प्रस्ताव श्री संतोष कुमार गुप्ता, वाईस चैरमैन, जी.एस.टी. कमिटी, मर्चेंट्स चैम्बर, ने प्रस्तुत दियाA

उक्त सत्र में श्री सुनील त्रिवेदी, श्री विजय पाण्डेय, श्री शेष नारायण त्रिवेदी, श्री मुकुल टंडन, श्री उमेश पाण्डेय, श्री एस.सी. गर्ग, श्री ए.के. सिन्हा, सचिव- एम.सी.यू.पी., वाणिज्य कर विभाग के अधिकारीगण, मर्चेंट्स चैम्बर के सदस्यगण तथा कानपुर के अन्य प्रतिष्ठित संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, व्यापारीगण एवं उ|मीगण उपस्थित रहेंगेA

धन्यवाद
मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश